I/2012-बीएम(भाग-4)/22 भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकासएवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
(बी.एम. अनुभाग) ब्लॉकसं.3, द्वितीय तल,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली

दिनांक: 13.2.2015

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: 'नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति द्वारा अनुमोदित उप-समितियों का गठन'।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर, आरडी, और जीआर), एतद्द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ "नदियों के अंतर्योजनहेतु विशेष समिति" को पैरा 2 अधिसूचना दिनांक 23.9.2014 में निर्धारित उसके कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने हेतु तीन उप-समितियों का गठन करता है।

उप-समितियों का संयोजन और विचारार्थ विषय (टी.ओ.आर.) निम्नानुसार दिए गए हैं:-

I. नदियों के अंतर्योजन के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/प्रतिवेदनों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति

संयोजन

1.	श्री बी.एन. नवलावाला मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	–	अध्यक्ष
2.	श्री ए.डी.मोहिले, पूर्वअध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	–	सदस्य
3.	श्री ए.सी. त्यागी महासचिव, आई.सी.आई.डी., नई दिल्ली	–	सदस्य
4.	श्री एस. एन. हुद्दर पूर्व सचिव (सी.ए.डी.), महाराष्ट्र सरकार, पुणे	–	सदस्य
5.	श्री ए.डी. भारद्वाज, पूर्व डीजी, रा.ज.वि.अ. और पूर्व सदस्य, केंद्रीय जल आयोग	–	सदस्य
6.	प्रो० एस. इकबाल हसनैन (सेवानिवृत्त) प्रतिष्ठित पर्यावरण विशेषज्ञ, नई दिल्ली	–	सदस्य
7.	प्रो० समर के.दूना, (सेवानिवृत्त) आई.आई.एम. अहमदाबाद	–	सदस्य
8.	निदेशक/अधीक्षक अभियंता, रा.ज.वि.अ.	–	सचिव

विचारार्थ विषय:-

1. रा.ज.वि.अ. द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों/प्रतिवेदनों पर विचार और मूल्यांकन करना।
2. नदियों के अंतर्योजन (2004) और इसके उप-समूह/समितियों के संबंध में कार्यबलके प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं/सुझावों पर विचार और समीक्षा करना।
3. नदियों की नेटवर्किंग पर रिट याचिका की लंबित अवधि के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर शपथपत्र/प्रति-शपथपत्र के रूप में स्थिति प्रतिवेदन की समीक्षा करना।
4. उपरोक्त प्रतिवेदनों/अध्ययनोंकी समीक्षा के आधार पर, उप-समिति, नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजनाओं की तैयारी के लिए सुझाव/अनुशंसाएं और आगे की कार्यवाही की योजना बनाना।
5. उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित किसी अन्य कार्य/अध्ययन को पूरा करना।
6. समिति 6 माह की अवधि के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और समय-सीमा के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक रूप से बहुधा भेंट कर सकती है।

II. सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान हेतुप्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति :-

संयोजन

1.	प्रो० पी.बी.एस. सरना सीईडी, आई.आई.टी., दिल्ली	–	अध्यक्ष
2.	प्रो० संजीव कपूर आई.एम.एम., लखनऊ	–	सदस्य
3.	डॉ० डी.के. श्रीवास्तव से.नि. प्रो० जल विज्ञान विभाग, आई.आई.टी., रूड़की।	–	सदस्य
4.	प्रो०कामता प्रसाद, अध्यक्ष, आई.आर.एम.ई.डी., दिल्ली	–	सदस्य
5.	डा०शरद के. जैन, वैज्ञानिक जी, एन.आई.एच., रुड़की	–	सदस्य
6.	श्री एम.इलांगोवन से.नि. मुख्य अभियन्ता, केंद्रीय जल आयोग, बेंगलुरु	–	सदस्य
7.	श्री श्रीरामवेदियर सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय नई दिल्ली	–	सदस्य
8.	निदेशक/अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ. सदस्य	–	सचिव

विचारार्थ विषय :-

1. विशेषज्ञ निकायों की सभी रिपोर्टों और नदियों के नेटवर्किंग पर रिट याचिका की लंबित अवधि के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने दर्ज किए गए स्थिति प्रतिवेदनों पर विचार करना।
2. सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक आदि जैसे सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के लिए उपलब्ध जल संसाधनों से समाज को लाभों के अनुकूलन के सभी संभव विकल्पों की जांच करने के लिए व्यापक प्रणाली अध्ययन करना।
3. विभिन्न विकल्पों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा और वैकल्पिक कार्रवाई योजनाओं की पहचान करना।
4. विभिन्न हितधारकों के विचारों/सुझावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना।
5. नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सबसे उपयुक्त और स्वीकार्य कार्य योजना की अनुशंसा करना।
6. समिति 6 महीने की अवधि के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और समय-सीमा के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक रूप से बहुधा भेंट कर सकती है।

III. रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के लिए उप-समिति :-

संयोजन

1.	श्री एम.गोपालकृष्णन पूर्व महासचिव, आई.सी.आई.डी. बेंगलुरु	–	अध्यक्ष
2.	श्री एम.ई.हेग सेवानिवृत्त सदस्य, केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली	–	सदस्य
3.	प्रो० वसंत गांधी आई.आई.एम., अहमदाबाद	–	सदस्य
4.	डॉ गौतम पिंगले, (सेवानिवृत्त) प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) हैदराबाद	–	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव (पीपी) आरडी एंड जीआर मंत्रालय, नई दिल्ली	–	सदस्य
6.	मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली	–	सदस्य

विचारार्थ विषय :-

1. रा.ज.वि.अ. के मौजूदा अधिदेश के साथ-साथ रा.ज.वि.अ. के वर्तमान संगठनात्मक ढांचे और स्वीकृत कर्मचारियों की बल संख्या की समीक्षा करना।
2. नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में रा .ज.वि.अ. के अधिदेश में उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देना।
3. नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बढ़ाए गए अधिदेश को दायरे में लेने हेतु रा.ज.वि.अ. के लिए एक उपयुक्त संगठनात्मक संरचना का सुझाव देना।
4. रा.ज.वि.अ. के बढ़ाए गए अधिदेश हेतु प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना का सुझाव देना।

5. समिति 2 माह की अवधि के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और समय-सीमा के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक रूप से बहुधा भेंट कर सकती है।

इसे आईएफडी, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालयर की सहमति उनकी आईडी सं. 82 दिनांक 3.1.2015 से जारी किया जा रहा है। उक्त समितियों के गैर-आधिकारिक सदस्यों के लिए टीए/डीएऔर बैठक शुल्क आदि की शर्तें अलग से जारी की जाएंगी।

(एसकेगंगवार)
वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम)
दूरभाष: 011-24367109

प्रति,

1. उप-समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों (संलग्न सूची के अनुसार)।

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) के प्रधान निजी सचिव।
2. अतिरिक्त सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय)के निजी सचिव।
3. संयुक्त सचिव (पीपी)/जेएस एंड एफए, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालयके निजी सचिव।
4. महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.।
5. पीएओ, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय।